पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 11/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- महराजगंजः गैर-इरादत्तन हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) –

दिनांक- 05.01.2025 को विपक्षी . जहांगीर अंसारी पुत्र अली अहमद सा0 भीमाकोल थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 56 वर्ष द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस के लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर आवेदिका शारदा देवी के पति बहादुर निषाद को टक्कर मार देना जिससे आवेदिका के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/25 धारा 281/106 बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक- 08.01.25 को उ0नि0 अशोक कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जहांगीर अंसारी पुत्र अली अहमद सा0 भीमाकोल थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 56 वर्ष को समय करीब 13.30 बजे में कटान बाजार में नया चौक के पास से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02.थाना कन्धरापुरः गैर इरादत्तन हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक 06.01.2025 को वादी सत्यम सिंह पु0 संतोष सिंह साकिन किशुनदासपुर नं0 2 (देवखरी) थाना कन्धरापुर जि0 आजमगढ के द्वारा वादी के पिता को एक राय होकर गाली गुप्ता देना, मारपीट करना, धमकी देना व मारपीट में आयी चोटो से बेहोश हो गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0. 05/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 110 बी.एन.एस. बनाम अजय सिंह आदि 05 नफर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 07.01.2025 को उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह सिंह ग्राम दरौरा (देवखऱी) थाना कन्धऱापुर जनपद आजमगढ को समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03. थाना कन्धरापुरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक- 07.01.2025 को उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र सन्तोष सिंह ग्राम किशुनदासपुर नं0 02 (देवखरी) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ सेहदा अण्डरपास से समय करीब 03.32 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिफ्तार अभियुक्त-

1-सत्यम सिंह पुत्र सन्तोष सिंह ग्राम किशुनदासपुर नं0 02 (देवखरी) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग –

1-1.मु0अ0सं0 07/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

बरामदगी-

1-एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

04.थाना पवई: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 21.11.2024 को वादी मुकदमा थाना पवई जनपद आजमगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष समय करीब सुबह 4 बजे घर से कही चली जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 361/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 08.01.25 को वादी मुकदमा के साथ पीड़िता थाना पवई पर उपस्थित आयी एवं पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस में बताया गया कि गुलशन पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम असपतपुर जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाया गया था। विवेचना व संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त गुलशन पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम असपतपुर जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष का नाम प्रकाश में लाया गया। आज दिनांक 08.01.25 को उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह का0 अनुराग यादव, का0 अशोक यादव के साथ मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त गुलशन उपरोक्त को फत्तनपुर मोड़ के पास से समय करीब 10.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।